न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांता जिला सीकर

उनवान मुकन्दी देवी आदि बनाम प्रहलादराम आदि

मुकदमा नं. दावा प्र.क्र. 28/2024

13/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16/6/25 को पेश हो।
16/6/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 28/7/25 को पेश हो।
28/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/8/25 को पेश हो।
20/8/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 17/9/25 को पेश हो।
17/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली बहस दिनांक 1/10/25 को पेश हो।
1/10/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 5/11/25 को पेश हो।
5/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस दावा उभयपक्ष से सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10/12/25 को पेश हो।
10/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु [illegible] किया। तमाम पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील का [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:44:33 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] की [illegible]
[illegible] के [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
★ जिला–सीकर (राज.) ★

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:44:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद/मु.सं. 28/2024

01. मुकन्दी देवी पुत्री घीसाराम पत्नी कुन्दनलाल उम्र 63 वर्ष जाति खाती निवासिनी नागवा हाल आबाद नरोदा रामबाग, गैलेक्सी सिनेमा, अहमदाबाद (गुजरात)
02. प्रभाती देवी पुत्री घीसाराम पत्नी मदनलाल उम्र 60 वर्ष जाति खाती निवासिनी नागवा हाल आबाद माण्डोता तहसील सीकर ग्रामणी जिला सीकर
03. विमला देवी पुत्री घीसाराम पत्नी तुलछीराम उम्र 57 वर्ष जाति खाती निवासिनी नागवा हाल आबाद भिलाल जिला नागौर

–वादीगण

बनाम

01. प्रहलादराय पुत्र घीसाराम
02. निर्मला पत्नी विनोद
    समस्त जाति खाती निवासीगण ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर
03. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा नागवा तहसील धोद जिला सीकर
04. तहसीलदार, धोद तहसील धोद जिला सीकर

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति–
01. श्री गणपतलाल चौधरी, वकील वादीगण की ओर से
02. श्री महेन्द्र कुमार जाखड़, वकील प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

–:निर्णय:–

दिनांक– 10.12.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि "वादिनीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की पैतृक कब्जे, काश्त की कृषि भूमियां खसरा सं. 741 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, खसरा सं. 742 रकबा 1.2400 हेक्टेयर, खसरा सं. 756 रकबा 0.8200 हेक्टेयर, खसरा सं. 758 रकबा 0.4300 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.5200 हेक्टेयर वाके ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित है, जिनके पुराने खसरा सं. 270 व 274 रहे है। वादिनीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 स्व. घीसाराम के वंशज है, जिनकी वंशावली निम्नानुसार है–

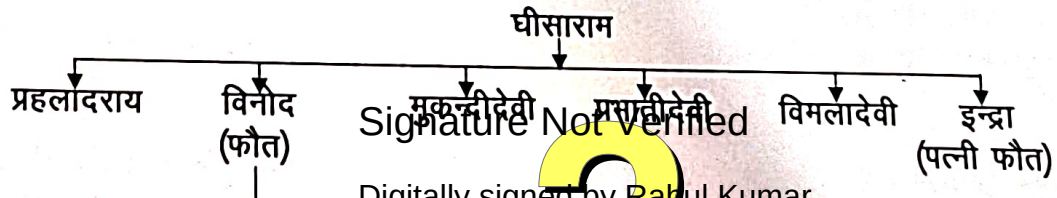

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:44:33 IST
Reason: SelfAttested

उक्त कृषि भूमियां पैत्रिक कृषि भूमियां होने के कारण वादिनीगण का 3/5 हक, हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का 2/5, हक, हिस्सा एवं कब्जा काश्त रहा है तथा इसी अनुरूप काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित भूमियों की पूर्व में खातेदारी घीसाराम

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

पुत्र जैसा के नाम से थी, जिनकी मृत्यु होने पर खातेदारी विरासत के आधार पर एकमात्र उसके दो पुत्र प्रहलादराय व विनोद कुमार के नाम से दर्ज हो गई। वादिनीगण के पिता घीसाराम की जब मृत्यु हुई। उस समय विरासत का नामांतरकरण केवल मात्र उसके पुत्र प्रहलादराय व विनोद कुमार व उनकी पत्नी इन्द्रा देवी के नाम से खोल दिया गया। जबकि घीसाराम के दो पुत्रों के अलावा तीन पुत्रियां भी थी जिनके नाम नामांतरकरण नहीं खोला गया। हल्का पटवारी की साजिश से कब्जे की जांच किये बिना ही घीसाराम की विरासत का नामांतरकरण केवल मात्र उनके दो पुत्रों प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादीया सं. 2 के पति के नाम से ही भरा गया है, जो निरस्तनीय है। वादग्रस्त भूमियां पैतृक कृषि भूमियां है, जिनमें वादिनीगण का भी हक व हिस्सा है। वादिनीगण अपने पिता के जीवन काल में उनके साथ तथा उनकी मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमियों में अपने हक व हिस्से 3/5 भाग पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। वादिनीगण अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में से 3/5 भाग की खातेदारी अपने नाम उद्घोषित करवाने की अधिकारिणी है। प्रतिवादिया सं. 2 निर्मला देवी के पति विनोद की मृत्यु होने के पश्चात् उसके हक हिस्से की खातेदारी उसकी पत्नी प्रतिवादिया सं. 2 के नाम दर्ज हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 गलत खातेदारी का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमियों को विक्रय करने पर आमादा है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 दिनांक 20.02.2024 को भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों को लेकर वादग्रस्त भूमियों पर आये और वादग्रस्त भूमियां उन्हे दिखाकर विक्रय का सौदा करने लगे। वादिनीगण द्वारा एतराज करने पर वह नहीं माने और कहा कि आपके नाम तो एक इंच भी जमीन नहीं है तब वादिनीगण द्वारा कहा गया कि पैतृक सम्पति है। इसमें हमारा 3/5 हक व हिस्सा है, हम हमारे हक व हिस्से की भूमि को बेचान नहीं करने देंगी तब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कहा कि हम सम्पूर्ण भूमियों का विक्रय पत्र अजनबी व्यक्तियों को करायेंगें और वो आपको वादग्रस्त भूमियों पर से बेदखल कर अपने आप कब्जा कर लेंगे। वादिनीगण द्वारा एतराज करने पर वे नहीं माने तथा वादिनीगण के साथ लड़ाई–झगड़ा करने लगे तथा वादिनीगण को वादग्रस्त भूमियों पर से बेदखल करने की धमकी दी और कहा कि हमको मौका मिलते ही वादग्रस्त भूमियों का बेचान करेंगें, यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमियों को विक्रय कर देंगें तो वादिनीगण का वाद पेश करने का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। न्यायहित में प्रतिवादी सं. 1 व 2 को उपरोक्त दुष्कृत्यों से बाज रखने हेतु जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना उचित व आवश्यक है। उक्त वाद में प्रतिवादी सं. 4 लोक सेवक की श्रेणी में आते है। कानूनन उनके विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व 2 माह का विधिक नोटिस दिये जाने का प्रावधान है, लेकिन वाद अति आवश्यक प्रकृति का है। यदि 2 माह का विधिक नोटिस दिया जाकर वाद पेश किया जाता है तो वाद नियोजन का उद्देश्य ही विफल हो जावेगा, इसलिए माननीय न्यायालय की पूर्वानुमति से बिना दो माह का विधिक नोटिस दिये बिना वाद पेश किया जा रहा है। न्यायहित में बिना दो माह का विधिक नोटिस दिये बिना ही वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना उचित व आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अलग से भी एक आवेदन अंतर्गत धारा 80(2) सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद कारण दिनांक 20.02.2024 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमियों पर से वादिनीगण को बेदखल करने की धमकी देने तथा वादग्रस्त भूमियों को विक्रय करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी सं. 3 को रहनग्रहिता के रूप में तथा प्रतिवादी सं. 4 को भूधारक के प्रतिनिधि के रूप में औपचारिक रूप से पक्षकार बनाये गये है। दावा माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में होने से उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 व 2 निर्णित व डिक्री किया जाकर उक्त वर्णित कृषि भूमियां खसरा सं. 741 रकबा [illegible] हेक्टेयर, खसरा सं. 742 रकबा 1.2400 हेक्टेयर, खसरा सं. 756 रकबा 0.8200 हेक्टेयर, खसरा सं. 758 रकबा 0.4300 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.5200 हेक्टेयर वाके ग्राम [illegible] तहसील धोद जिला सीकर में से वादीगण को 3/5 भाग का तथा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को 2/5 भाग का संयुक्त काबिज, खातेदार उद्घोषित किया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड में संशोधन व अमल दरामद किया जावें तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:44:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

प्रतिवादी सं. 1 व 2 को मय उनके परिवारजन, नौकरजन, प्रतिनिधिगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे उक्त वर्णित भूमियों को विक्रय व हस्तांतरित करने से बाज रहें तथा विवादित भूमियों की मौका व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखी जावें।"

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 पर विधिवत तामील पूर्ण होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री महेन्द्र कुमार जाखड़, एड. ने वकालतनामा पेश कर इकबाली जवाब दावा पेश किया। वादीगण के समर्थन में स्वयं वादीया सं. 2 (प्रभाती देवी), शिवपाल पुत्र मुकन्दाराम की ओर से अलग–अलग शपथ–पत्र पेश किये गये। प्रतिवादी सं. 1 स्वयं की ओर से वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने पर सहमति बाबत साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष से सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रकरण दावा में ग्राम नागवा पटवार नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 134 में वर्णित आराजियात खसरा सं. 741, 742, 756, 758 कुल किता 4 कुल रकबा 2.5200 हेक्टेयर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी (संवत् 2076–2079) में वर्तमान में प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर 1/2 – 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज है। उक्त खाता में वर्णित भूमियां वादीगण के द्वारा पैतृक होने से उनके पिता स्व. घीसाराम के फौत होने पर तत्समय खातेदारी वादीगण सं. 1 ता 3 के भाई प्रहलादराय, विनोद (वर्तमान में विनोद की पत्नी के नाम खातेदारी) व माता इन्द्रा (अब फौत हो चुकी है) के नाम से नामान्तरकरण भरा गया था, तत्समय खातेदारी वादीगण सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज नहीं होने पर हस्तगत वाद पेश कर खातेदारी वादीगण सं. 1 ता 3, प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के प्रत्येक के नाम 1/5 – 1/5 हिस्से की उद्घोषणा का मुख्यतः अनुतोष चाहा है। प्रकरण दावा में वादीगण सं. 1 ता 3 के अनुतोष के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने पर प्रतिवादी सं. 1 सहमत है। अतः वादीगण का वाद उभयपक्ष की सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाके ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमियां खसरा सं. 741 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, खसरा सं. 742 रकबा 1.2400 हेक्टेयर, खसरा सं. 756 रकबा 0.8200 हेक्टेयर, खसरा सं. 758 रकबा 0.4300 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.5200 हेक्टेयर में दर्ज वर्तमान खातेदारी निरस्त की जाकर उक्त के स्थान पर वादीगण सं. 1 ता 3, प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/5 – 1/5 हिस्से का बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार, उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:44:33 IST
Reason: SelfAttested